

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा  
डिक्री

दिनांक :- 12/03/2026

वादीगण की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री कुलदीप विश्नोई अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाती है:-

(1) वादी सं. 1 को प्राप्त भूमि:-चक 12 एम ओ डी के खाता सं. 81/46 की कुल 12.144 है. नहरी गैर मु. खाला रास्ता में द्वितीय पक्ष/प्रतिवादी सं. 1 का 2003/12144 हिस्सा की समस्त 2.003 है. नहरी मय गैर मु. खाला रास्ता भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

(2) वादी सं. 2 को प्राप्त भूमि:-चक 3 एल जी डब्ल्यू के खाता सं. 104/61 की कुल 9.791 हैक नहरी मय गैर मु. खाला में द्वितीय पक्ष/प्रतिवादी सं. 1 का 1632/9791 हिस्सा में से 0.759 हैक. नहरी मय गैर मु. खाला भूमि वादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया

जाता है शेष भूमि 0.873 हैक. नहरी मय गैर मु. खाला प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

3) प्रतिवादी सं. 2 को प्राप्त भूमि-चक 3 एल जी डब्ल्यू के खाता सं. 103/69 की कुल 8.855 हैक. नहरी गैर मु. खाला में से द्वितीय पक्ष/प्रतिवादी सं. 1 का 1497/8855 की समस्त 1.497 है. नहरी गय गैर मु. खाला भूमि का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं हों की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न हों की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12/3/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



( उमा मित्तल आर.ए.एस. )  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पीलीबंगा  
पीलीबंगा